रज्जो *बनाम* *ग्यारसा*

2-18 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.09.2016 को खारिज कर दिया गया था। जिसकी निगरानी में न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अजमेर (राजस्थान) द्वारा दिनांक 20.07.2017 को पारित आदेश यह कि **"प्रश्नगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि वाद पत्र में किसी विधि द्वारा वर्जित नहीं है और परिसीमा संबंधी विवाद्यक को साक्ष्य के बाद ही विनिश्चित किया जा सकता है जबकि प्रार्थी निगरानीकर्ता का आदेश 07 नियम 11 सी0पी0सी0 में यह तर्क था कि प्रतिवादीगण का भूमि पर अधिकार दान पत्र एवं हक त्याग पत्र के आधार पर है और इस हक त्याग पत्र के आधार पर और हक त्याग पत्र और दानपत्र को निरस्त करवाने हेतु वादिया द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया जा चुका है तथा दोनों वादों की प्रकृति व पक्षकार समान है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय में यह वाद चलने योग्य नहीं है। यह स्पष्ट है कि सिविल न्यायालय द्वारा दान पत्र एवं हक त्याग पत्र के संबंध में दिया गया निर्णय ही वादी एवं प्रतिवादी के अधिकारों का अंतिम रूप से तय करेगा, ऐसी स्थिति में यह राजस्व वाद चलने योग्य नहीं रहता। हमारी सुविचार राय में जब तक सिविल न्यायालय से दान पत्र एवं हक त्याग पत्र की वैधानिकता तय नहीं की जाती तब तक राजस्व न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना विधिक स्थिति के विपरीत होगा। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है, जिनसे इसी प्रकार सिद्वांत प्रतिपादित किया गया है। उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी विचारार्थ ग्रहण किए जाने के स्तर पर ही स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.09.2016 निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार किए जाने के आदेश दिये जाते है। "**

हमने न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अजमेर (राजस्थान) द्वारा पारित आदेश, पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. श्रीमान राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्वीकार हो चुका है माननीय राजस्व मंडल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.07.2017 द्वारा प्रार्थी प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः माननीय राजस्व मंडल के आदेश दिनांक 20.07.2017 की अनुपालना में वादीया का वाद इस स्तर पर खारिज किया जाता है।पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)